सुपर बाजार में बिक्री सहायक

1826. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या **नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 जनवरी, 1994 की स्थिति के अनुसार सुपर बाजार में कार्यरत बिक्री सहायकों की शाखा वार कुल संख्या कितनी-कितनी है;

(ख) उनके नामों, नियुक्ति की तारीख, जन्म तिथि, शैक्षिक योग्यताओं और वरिष्ठता स्थिति संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ बिक्री सहायकों की सेवाएं, उन्हें बिक्री क्षेत्र से हटा कर कहीं अन्यत्र इस्तेमाल की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप इस क्षेत्र में स्थिति गड़बड़ा गई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे बिक्री-सहायकों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें बिक्री क्षेत्र से हटाकर अन्य क्षेत्रों में तैनात किया गया है और वे इन पदों पर किन तारीखों से नियुक्त है, और

(ङ) ऐसी शाखाओं का अलग से ब्यौरा क्या है, जहां एक से अधिक बिक्री सहायक की आवश्यकता है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि 31-1-1994 को बिक्री सहायकों की कुल संख्या 432 थी। यह समझा जाता है कि प्रत्येक बिक्री सहायक का नाम, नियुक्ति की तारीख, जन्म तिथि, शैक्षणिक अर्हता तथा उनकी वरिष्ठता की स्थिति से संबंधित आंकड़ों को एकत्र करने तथा उन्हें सारणीबद्ध करने में लगने वाली मेहनत के अनुपात में उसके परिणाम प्राप्त नहीं होंगे।

(ग) और (घ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि बिक्री सहायक का ग्रेड कार्यालय सहायक भंडार सहायक तथा सहायक लेखाकार के समकक्ष है। भर्ती नियमों में, आवश्यकता पर निर्भर करते हुए इन पदों में परस्पर बदली का प्रावधान है। बिक्री सहायकों की सेवाओं का उपयोग बिक्री के क्षेत्र के अलावा अन्य स्थानों जैसे कार्यालय, भंडार तथा लेखा कार्य में भी किया जाता है। सुपर बाजार ने यह भी सूचित किया है कि ऐसे बिक्री सहायकों के बारे में कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है जिनका बिक्री क्षेत्र से अन्य स्थानों पर तबादला कर दिया गया है, क्योंकि उनकी स्थिति की अदला-बदली हो सकती है।

(ङ) सुपर बाजार ने सूचित किया है कि केवल उन्हीं शाखाओं में एक से अधिक विक्रेता तैनात किया जाता है। जिनकी मासिक कुल बिक्री 4.25 लाख रु० से अधिक है और जहां एक से अधिक भंडार है।

Arbitration Board in Super Bazar

1827. SHRI DILIP SINGH JUDEV : Will the Minister of CIVIL SUPPLIES, CONSUMER AFFAIRS AND PUBLIC DISTRIBUTION be pleased to state :

(a) whether the Chairman and General Manager of Super Bazar have decided to set up an arbitration board to settle the disputes between service providers and consumers, suppliers and manufacturers;

(b) whether it has also been decided to segregate subscribers/consumers into business and non-business categories for charging a higher tariff from the former group and lower tariff from the later groups;

(c) whether these decisions were passed on the recommendations made by the BICP;

(d) if so, by what time final decision in this regard is likely to be taken thereof?

(e) if so, the details thereof ?